

फर्द अहकाम

सूरजमल

बनाम

छोटादेवी वगैरह

वादपत्र संख्या 112 / 2019

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---------------------------|---|
| <p><u>25.06.2019</u></p> | <p>वादपत्र वादी की ओर से जरिए वकील पेश किया गया, वादपत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड डाक जारी हो, पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक <u>05/07/19</u> को पेश हों। <u>CP</u></p> <p><u>13/7/19</u></p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील वारी रुपनी प्रतिवादी स०। ग 5 की ओर से एडव० श्री सुख कुमार शर्मा व आशोक चतुर्वेदी ने दखलनामा व प्रत्येक पेश किया जो शामिल रहे प्रवाद की प्रति चाही वकील के रिपोर्ट बार्ड प्रवादली वास्ते लानकीमत एक दिनांक 13/7/19 को पेश हो <u>CP</u></p> |
| <p><u>13/7/19</u></p> | <p>पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई वारी स०। सूरजमल व प्रतिवादी स०। 1- छोटादेवी, 2- चन्नी 3- पप्पुडी, 4- राजू 5- नारणी स्वयं उपस्थित होकर हस्ताक्षर किया। दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित कि राम नारदपुरा पथार हल्का सायपुरा तहसील जम्बरानगाड जयपुर में कृषि भूमि खण्ड न० 05/4 खतवा 0.0700 हेक्टेयर, खण्ड न० 03/6 खतवा 0.3600 हेक्टेयर कुल क्षेत्रा 2 फरस खतवा 0.4300 हेक्टेयर में विस्ता 114 भागा,</p> |

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जम्बरानगाड

छोटादेवी
चन्नी
पप्पुडी
राजू
नारणी

सूरजमल गीता

खण नं. 83/5 रकवा 0.1000 हेक्टर में हिस्सा 1/12 भाग,
 की खातदारी उपग्र पक्ष व द्वितीय पक्ष के हफ्त
 पूर्वधिकारी पिता। पति कालू पुत्र सोन्या के नाम
 से तथा साइयाद प्यवार हफ्त नयाय दहलीज भागवाराणस
 पिता उपपुर में कृषि भूमि खण नं. 139/2 रकवा
 0.4800 हेक्टर, खण नं. 139/5 रकवा 0.2100 हेक्टर,
 खण नं. 139/7 रकवा 0.1400 हेक्टर, खण नं. 139/14
 रकवा 0.6400 रकवा नं. 139/17 रकवा 0.5200
 हेक्टर, खण नं. 139/19 रकवा 0.0700 हेक्टर, खण नं.
 139/23 रकवा 0.1500 हेक्टर, खण नं. 139/29
 रकवा 0.9400 हेक्टर, खण नं. 139/31. रकवा
 0.1800 हेक्टर, कुल कितानो कुल रकवा 3.6000
 हेक्टर, में हिस्सा 1/14 भाग, व खण नं. 137 रकवा
 0.0600 हेक्टर खण नं. 138 रकवा 0.0900 हेक्टर, खण नं.
 139/11 रकवा 0.0800 हेक्टर, खण नं. 139/18 रकवा
 0.0200 हेक्टर, खण नं. 139/26 रकवा 0.1700 हेक्टर
 कुल कितान 5 रकवा 0.4200 हेक्टर में हिस्सा 1/12
 भाग की खातदारी उपग्र पक्ष व द्वितीय पक्ष
 के हफ्त पूर्वधिकारी पिता कालू पुत्र सोन्या के
 नाम से दर्ज रिकॉर्ड रही है

कालूराम पुत्र सोन्या के एक पति व चार
 पुत्री द्वितीय पक्ष व एक इत्फत पुत्र उपग्र पक्ष है
 उपग्र पक्ष के पं पिता कालूराम पुत्र सोन्या मीना
 ने अपने जीवन काल में द्वितीय पक्ष छोटासी की
 पूर्ण सहमति से उपग्र पक्ष को बाल्या सुवर्णा
 में बोधने बैठाकर, नारिपल खाते शर्व में
 बरवाकर बोध पुत्र बना लिया। बोधनामा
 के पंजीपत्र दिनांक 24/7/17 को उपपंजीपत्र
 करवाते समग्र समझ उपपंजीपत्र हारा
 स्वीकार किया।

वादंकिता भूमि में उपग्र पक्ष इत्फत पिता
 के फॉट होने पर 116 का अधिकारी हो कर 16
 भाग का इत्फत द्वितीय पक्ष के हफ्त में खोलना
 चाहते था।

किता उग्र पक्षों की वरस खानत
 व पत्रावली का केवलेंकर पर राजीनामे
 के क्षाप्यार पर वाद को डिष्टी किया
 जाता है। राजीनामा तस्वीफ किया जाता है
 पत्रावली फेराल शुगर ठेकर नम्बर 16 का हरे
 वाद शक्ति करिपल उबरहो एच

